भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 300
मंगलवार, दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए योजना</u>

300. श्री नीरज डांगीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए योजना बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा पर कितनी आवंटित राशि व्यय की गई, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए मेगावाट में निर्धारित किया गया लक्ष्य क्या है; और

(ङ) प्रत्येक वर्ष कुल कितनी विद्युत का वितरण किया गया?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क) सरकार ने देश में वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य में से देश में अगस्त, 2020 तक 88.79 गीगावाट संचयी अक्षय ऊर्जा क्षमता की स्थापना की गई है।

देश में अधिकतर ग्रिड संबद्ध परियोजनाओं का कार्यान्वयन निजी क्षेत्र के डेवलपरों द्वारा किया जा रहा है जिनका चयन पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। सरकार द्वारा देश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना;
- अक्षय विद्युत उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के रूप में साख पत्र (एलसी) की आवश्यकता को अनिवार्य करना।

- लगाओ और चलाओ (प्लग एंड प्ले) आधार पर भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना करना;
- 30 जून, 2023 तक चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों और नुकसानों को माफ करना;
- वितरण लाइसेंसधारक को प्रतिस्पर्धी दरों पर सौर और पवन विद्युत की खरीद करने में सक्षम बनाने के लिए मानक बोली दिशानिर्देश अधिसूचित करना;
- वर्ष 2022 तक अक्षय खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्ट्री की घोषणा करना;
- अक्षय संसाधनों से संपन्न क्षेत्रों में विद्युत की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर योजना के तहत पारेषण लाइनें बिछाना;
- घरेलू उत्पादन में निवेशों को आकर्षित करने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास सेल बनाना;
- आरबीआई के संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देशों में अक्षय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा को बढ़ाया (दोगुना किया) गया है।

(ख) और (ग): देश में अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2017-18	4080.00	3768.73
2018-19	5146.63	4476.20
2019-20	3891.74	3542.76

(घ) सरकार ने देश में वर्ष 2022 तक 1,75,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता (बड़ी पन विद्युत को छोड़कर) स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों से किए गए विद्युत उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

वर्ष	अक्षय उत्पादन (एमयू में)
2017-18	101839.48
2018-19	126759.09
2019-20	138318.66

स्रोतः केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

*****